रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4824] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940
No. 4824] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

आय-कर

का.आ. 6053(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115ञछ की उपधारा (1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि,:--

(i) जहां कोई विदेशी कंपनी, भारत में स्थित अपनी शाखा (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय शाखा कहा गया है) के माध्यम से भारत में बैंककारी कारबार में लगी हुई है और भारतीय शाखा को जैसा कि अधिनियम की धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है उसकी समनुषंगी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय समनुषंगी कपनी कहा गया है) में संपरिवर्तित करती है, अधिनियम की धारा 115ञछ की उपधारा (1) के खंड (i) और खंड (ii) उपबंध ऐसे संपरिवर्तन पर लागू होंगे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं अर्थात्:--

(क) भारतीय शाखा भारतीय समनुषंगी कंपनी में विदेशी कंपनी के शेयरधारकों और भारतीय समनुषंगी कपंनी द्वारा अनुमोदित समामेलन की स्कीम के अनुसार समामेलित होती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक प्रेस प्रकाशनी संख्या 2013-2014/936 तारीख छह नवंबर, 2013 द्वारा जारी भारत में विदेशी बैंकों द्वारा संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक स्थापित करने के लिए रूपरेखा के पैरा 20(ज) के अधीन संस्तुत हो;

(ख) संपरिवर्तन के ठीक पहले भारतीय शाखा की सभी आस्तियां और दायित्व भारतीय समनुषंगी कंपनी की आस्तियां और दायित्व होंगी;

(ग) भारतीय समनुषंगी कंपनी को भारतीय शाखा की आस्तियां और दायित्व इसके संपरिवर्तन के ठीक पहले लेखाबही में दर्शित हो रहे मूल्यों पर अंतरित हैं;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के मूल्य के निर्धारण के लिए उसके पुर्नमूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में किसी परिवर्तन को छोड़ दिया जाएगा;

(घ) अधिनियम की धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी बैंक या इसकी नाम निर्देशिती संपरिवर्तन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और जिस वर्ष में संपरिवर्तन हुआ उससे पूर्वतन वर्ष की अंतिम तारीख के दौरान भारतीय समनुषंगी कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करेगी और भारतीय समनुषंगी कंपनी के ऐसे शेयर जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले हैं को उक्त पूर्वतन वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए धारण करना जारी रखेगी;

(ङ) अधिनियम की धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी, भारतीय समनुषंगी कंपनी में शेयरों के आबंटन के रूप के सिवाय कोई प्रतिफल या फायदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अन्य किसी रूप या रीति से प्राप्त नहीं करती है;

(ii) अधिनियम की धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी और भारतीय समनुषंगी कंपनी की दशा में, कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर की बाबत अनामेलित अवक्षयण, मुजरे या हानियों के अग्रनयन और मुजरे, कर प्रत्यय और आय की संगणना से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुमूलनों के साथ लागू होंगे,--

(क) अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण की अनुमति के उद्देश्यों के लिए भारतीय शाखा और भारतीय समनुषंगी कंपनी को अनुज्ञेय भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर जो मूर्त आस्ति है या व्यवहार ज्ञान, पेटेंट या कापीराइट, व्यापार चिन्ह, लाइसेंस, फ्रैंचाइज या उसी प्रकार का कोई अन्य कारबार या वाणज्यिक अधिकार जो अमूर्त आस्तियां हैं के अवक्षयण की बाबत कुल कटौती किसी पूर्व वर्ष में विहित दरों पर परिकलित कटौती से अधिक नहीं होगी मानो संपरिवर्तन हुआ ही न हो और ऐसी कटौती भारतीय शाखा और भारतीय समनुषंगी कंपनी के बीच ऐसे दिनों की संख्या के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी जिनके लिए ऐसी आस्तियों का उनके द्वारा उपयोग किया गया था;

(ख) भारतीय शाखा की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्व वर्ष के लिए जिसमें संपरिवर्तन प्रभावी हुआ है, भारतीय समनुषंगी कंपनी के अवक्षयण के लिए हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि और मोक का मुजरा करने और इसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(I) "संचयित हानि" से भारतीय शाखा की भारतीय समनुषंगी कंपनी में इसके संपरिवर्तन से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है (जो सट्टेबाजी के कारबार से हुई हानि न हो) जिसके लिए ऐसी भारतीय शाखा धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनयन और मुजरा करने के लिए हकदार होती यदि संपरिवर्तन न हुआ होता;

(II) "शेष अवक्षयण" से भारतीय शाखा का भारतीय समनुषंगी कंपनी में इसके संपरिवर्तन से पूर्व उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है जो ऐसी शाखा को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष है और जो अनुज्ञात किया गया होता, यदि संपरिवर्तन न हुआ होता;

(ग) धारा 43 के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए भारतीय समनुषंगी कंपनी की दशा में आस्ति समूह की वास्तविक लागत भारतीय शाखा की स्थिति में इसके भारतीय समनुषंगी कंपनी में संपरिवर्तन की तारीख को आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य होगी;

(घ) किसी पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत जिस पर कटौती अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन अनुज्ञात की गई है या अनुज्ञेय है, भारतीय समनुषंगी कंपनी की दशा में अधिनियम की धारा 43 के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए शून्य मानी जाएगी यदि पूंजी आस्ति भारतीय शाखा के संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय समनुषंगी कंपनी की संपत्ति हो गई है;

(ङ) जहां भारतीय शाखा के संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपखंड (ग) और उपखंड (घ) में निर्दिष्ट के अलावा पूंजी आस्ति भारतीय समनुषंगी कंपनी की संपत्ति हो गई है, वहां पूंजीगत लाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए आस्ति के अर्जन की

लागत वह लागत समझी जाएगी जिसके लिए यथास्थिति भारतीय शाखा ने इसे अर्जित किया है या पूर्वतन स्वामी ने इसे अर्जित किया है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए भारतीय समनुषंगी कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी पूंजी आस्ति के संबंध में 'पूर्वतन स्वामी' से पूंजी आस्ति का वह अंतिम पूर्वतन स्वामी अभिप्रेत है जिसने उसका अर्जन अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) या धारा 115ञछ में निर्दिष्ट अर्जन के ढंग से भिन्न ढंग से किया हो;

(च) पूर्वतन वर्ष के प्रयोजनों के लिए जिसमें संपरिवर्तन प्रभावी हुआ है भारतीय शाखा की कर क्रेडिट भारतीय समनुषंगी कंपनी की कर क्रेडिट समझी जाएगी और अधनियम की धारा 115ञकक के उपबंध तदुनसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर क्रेडिट से अभिप्रेत है भारतीय शाखा के भारतीय समनुषंगी कंपनी में संपरिवर्तन से पहले उतना कर क्रेडिट, जितना संपरिवर्तन नहीं हुआ होता तो भारतीय शाखा अधिनियम की धारा 115ञकक के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत और मुजरा करने का हकदार होती;

(छ) अधिनियम की धारा 35घघक के उपबंध भारतीय समनुषंगी कंपनी पर यथाशक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे यदि संपरिवर्तन नहीं हुआ होता तो वे भारतीय शाखा पर लागू होते ।

(ज) संपरिवर्तन की तारीख को अधनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के उपखंड (viiक) के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था में जमा अतिशेष, भारतीय समनुषंगी कंपनी की जमा अतिशेष समझी जाएगी और अधिनियम की धारा 36 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे;

(झ) भारतीय शाखा के भारतीय समनुषंगी कंपनी में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी या इसके नामनिर्देशती द्वारा भारतीय समनुषंगी कंपनी में शेयरों की प्राप्ति के संव्यवहार को अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के उपबंध लागू नहीं होंगे;

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ''संपरिवर्तन की तारीख'' वह होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक प्रेस प्रकाशनी संख्या 2013-2014/936 तारीख, छह नवंबर, 2013 द्वारा जारी भारत में विदेशी बैंकों द्वारा संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक स्थापित करने के लिए रूपरेखा के पैरा 20(झ) के अधीन भारतीय शाखा के उपक्रम के हितों को भारतीय समनुषंगी कंपनी में निहित करना तय करे ।

[अधिसूचना सं. 85/2018/ फा.सं.370133/34/2016-टीपीएल**]**

प्रवीण रावल**,** निदेशक (कर नीति और विधान)

—